

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 663 सन 2022

अनवान :-

1. आसीफ पुत्र महबूब खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. अधिशाषी अधिकारी सिचाई विभाग खण्ड भादरा जिला हनुमानगढ़।
असल प्रतिवादीगण
3. आमना पत्नी इकबाल जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. मुकेश कुमार सुथार पुत्र लिच्छुराम सुथार जाति सुथार निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. मदीना बानो पत्नी सलीम जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. याकुब पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
प्रतिवादीगण

राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

परोकार राज

निर्णय दिनांक :- 04/10/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 रोही मौजा चक चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प०न० 306/438(57) के किला न० 4/0.0260हैक गै०मु०खास्ता 4/2 की 0.0250हैक गै०मु०खाला 4/3 की 0.2020हैक , 6/1 की 0.0250हैक गै०मु०खाला 6/2 की 0.2280हैक 7 व 14/0.506हैक , 15/1 की 0.0250हैक गै०मु०खाला , 15/2 की 0.2280हैक , 16/1 की 0.0250हैक गै०मु० खाला , 16/2 की 0.2280हैक , 17/0.2530हैक प०न० 307/438(58) के किला न० 11/1 की 0.0250हैक गै०मु०खाला 11/2 की 0.2280हैक , 20/0.2530हैक कुल 2.2770हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार कारतकार दर्ज है।

रिवाईज्ड स्वीकृत चक प्लान में उक्त खाला की बजाय सीएडी विभाग के द्वारा अन्यत्र खाला स्वीकृत कर निर्माण करवा दिया गया है अब मौका पर रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के प०न० 306/438(57) के किला न० 4/2 , 6/1 , 15/1 , 16/1 एव प०न० 307/438(58) के किला न० 11/1 में कोई खाला नहीं है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प०न० 306/438(57) के किला न० 4/2 की 0.0250हैक गै०मु०खाला , 6/1 की 0.0250हैक गै०मु०खाला , 15/1 की 0.0250हैक गै०मु०खाला , 16/1 की 0.0250हैक गै०मु०खाला , प०न० 307/438(58) के किला न० 11/1 की 0.0250हैक गै०मु०खाला दर्ज है जिससे वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

जल संसाधन विभाग के रिवाईज्ड चक प्लान में उक्त रास्ता स्वीकृत नहीं रिवाईज्ड चक प्लान के अनुसार अन्य स्थान पर खाला स्वीकृत किया जाकर बनाया जा चुका है मौका पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज खाला मौका पर चालू नहीं है मात्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पूर्व चक प्लान के अनुसार दर्ज है वर्तमान में रिवाईज्ड चक प्लान के अनुसार खाला बनाया जा चुका है इसलिये उक्त खाला जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन है मौका एव जल संसाधन विभाग में स्वीकृत नहीं होने के कारण राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण अपने खाते में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 , 2 को कई मर्त्या कहा की वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प०न० 306/438(57) के किला न० 4/2 की 0.0250हैक गै०मु०खाला , 6/1 की 0.0250हैक

गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला स्वीकृत एव मौका पर चालू नहीं है को निरस्त /हटाया जाकर उक्त भूमि वादी एव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज की जावे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इरालिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0 4/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 6/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला दर्ज को निरस्त /हटाया जाकर वादी एव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जो तरतीवी प्रतिवादी है कि और से अन्जनी कुमार अधिवक्ता उपस्थित आये वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकवाल जबाब पेश किया गया

प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकार जबाब पेश किया की रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0 4/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 6/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक भूमि में राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 खाला के रूप में दर्ज है किन्तु मौके पर किसी प्रकार का खाला नहीं बना हुआ ना ही चालू है राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। प्रतिवादी संख्या 2 अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा ने अपने पत्रांक 1136 दिनांक 17.05.2022 की प्रति पेश कर अवगत करवाया गया की रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0 4/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 6/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक में चक स्कीम अनुसार खाला स्वीकृत नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने जबाब में किसी प्रकार का विरोध नहीं होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं साक्ष्यवादी में वादी ने शपथपत्र पेश किया जिरह नहीं करने पर जिरह शुन्य रही शपथ पत्र शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी एव तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 रोही मौजा चक चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0 4/2 की 0.0260हैक गै0मु0रास्ता , 4/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला 4/3 की 0.2020हैक , 6/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला 6/2 की 0.2280हैक 7 व 14/0.506हैक , 15/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 15/2 की 0.2280हैक , 16/1 की 0.0250हैक गै0मु0 खाला , 16/2 की 0.2280हैक , 17/0.2530हैक प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला 11/2 की 0.2280हैक , 20/0.2530हैक कुल 2.2770हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रिवाईज्ड स्वीकृत चक प्लान में उक्त खाला की बजाय सीएडी विभाग के द्वारा अन्यत्र खाला स्वीकृत कर निर्माण करवा दिया गया है अब मौका पर रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के प0न0 306/438(57) के किला न0 4/2 ,6/1 ,15/1 ,16/1 एव प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 में कोई खाला नहीं है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प0न0 306/438(57) के किला न0 4/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 6/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला .

प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला दर्ज है जिससे वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

जल संसाधन विभाग के रिवाईज्ड चक प्लान में उक्त रास्ता स्वीकृत नहीं रिवाईज्ड चक प्लान के अनुसार अन्य स्थान पर खाला स्वीकृत किया जाकर बनाया जा चुका है मौका पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज खाला मौका पर चालू नहीं है मात्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पूर्व चक प्लान के अनुसार दर्ज है वर्तमान में रिवाईज्ड चक प्लान के अनुसार खाला बनाया जा चुका है इसलिये उक्त खाला जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन है मौका एव जल संसाधन विभाग में स्वीकृत नहीं होने के कारण राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण अपने खाते में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी का वाद खित्री किया जाकर घोषणा की जावे की रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0 4/2 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 6/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला दर्ज को निरस्त /हटाया जाकर वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे

प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोंकार राज ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0 4/2 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 6/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किन्तु मौका पर किसी प्रकार का खाला नहीं बना हुआ है ना ही खाला चालू है गै0मु0 खाला जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है बतौर खातेदार वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के नाम राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए दर्ज किया जाना उचित है।

प्रतिवादी संख्या 2 अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा ने अपने पत्रांक 1136 दिनांक 17.05.2022 की प्रति पेश कर अवगत करवाया गया की रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0 4/2 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 6/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक् भूति वर्तमान चक स्कीम अनुसार खाला स्वीकृत नहीं है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0 4/2 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 4/2 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला 4/3 की 0.2020हैक् , 6/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला 6/2 की 0.2280हैक् 7 व 14/0.506हैक् , 15/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 15/2 की 0.2280हैक् , 16/1 की 0.0250हैक् गै0मु0 खाला , 16/2 की 0.2280हैक् , 17/0.2530हैक् प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला 11/2 की 0.2280हैक् , 20/0.2530हैक् कुल 2.2770हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के नाम दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0 4/2 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 6/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किन्तु सीएडी विभाग की रिवाईज्ड चक स्कीम में उक्त खाला को निरस्त किया जाकर अन्य स्थान पर खाला स्वीकृत किया जा अर्थात् रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0 4/2 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 6/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , जल संसाधन विभाग के अनुसार खाला

स्वीकृत नहीं है तथा तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त भूमि में मौका पर कोई खाला का निर्माण एव चालू नहीं है भूमि काशत हो रही है इसलिये उक्त भूमि को मुमकिन दर्ज करवाना चाहता है।

अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा की रिपोर्ट: /जबाब के अनुसार रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0, 6/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक में चक स्कीम अनुसार खाला स्वीकृत नहीं है।

पेरोकार राज ने द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0 4/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 6/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक में गैर मुमकिन खाला दर्ज है किन्तु मौका पर खाला नहीं है।

अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं पेरोकार राज के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट वादी के कथनों की पुष्टि करती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के 6/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक में मौका पर कोई खाला नहीं है ना ही वर्तमान में स्वीकृत है केवल पूर्व चकस्कीम के अनुसार खाला दर्ज है रिवाइज्ड चकस्कीम के अनुसार मौका पर खाला नहीं है।

अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा व पेरोकार राज की मौका रिपोर्ट के अनुसार रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0 6/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक में खाला स्वीकृत नहीं है ना ही मौका पर चालू है केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में पूर्व सिचाई स्कीम के अनुसार दर्ज है जिसका उपयोग वर्तमान में नहीं है।

पेरोकार राज के कथनानुसार राज्यहकों को सुरक्षित रखने के लिये वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0, 6/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला निरस्त होता है इसलिये राज्यहको की सुरक्षा हेतु गैर मुमकिन खाला का आरक्षित मूल्य राजकोष में जमा करवाया जाना उचित है।

वादी रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0, 6/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक भूमि में वर्तमान में किसी प्रकार का खाला स्वीकृत नहीं होने एव मौका पर खाता नहीं चलने के कारण गैर मुमकिन खाला की भूमि को मुमकिन का अनुतोष चाहा है जो मौका अनुसार न्यायोचित भी प्रतीत होता है।


पेरोकार राज का कथन उचित प्रतीत होता है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0, 6/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक की भूमि को गैर मुमकिन से मुमकिन करने के लिये आरक्षित मूल्य जमा करवाया जा सकता है इसलिये राज्यहको की सुरक्षा हेतु वादी से रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0, 6/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक की भूमि का डीएलसी का मूल्य जमा करवाया जाकर मुमकिन किया

जा सकता है जो वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी पेज 798 वादी के प्रकरण पर पूर्णतया चरमा होती है।

वादी के कथनों की पुष्टि सम्बन्धित विभाग अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं परोकार राज के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मौका रिपोर्ट से होने के कारण वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं न्यायिक दृष्टान्तों के मध्यनजर वाद वादी साबित होने के काबिल डिक्री है।

उक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद की पुष्टि अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं परोकार राज के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार वाद का वाद साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0, 6/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक् भूमि की डीएलसी दर 1337837 हैक् अर्थात् 334500/- प्रतिवीधा के अनुसार रु (133800/रूपये) सम्बन्धित काश्तकार वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के द्वारा जमा करवाने पर रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0, 6/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक् गै0मु0 खाला की भूमि सम्बन्धित खातेदारों के खाते में मुमकिन दर्ज की जाती है अर्थात् उक्तानुसार रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 13/11 के प0न0 306/438(57) के किला न0, 6/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 15/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , 16/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला , प0न0 307/438(58) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक् भूमि सम्बन्धित काश्तकार के खाते में मुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/10/2024 मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)